A-7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 148 / 2022
मोहर सिह पुत्र मामराज उम्र 60 वर्ष जाति जाट, निवासी ओजटू, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)
मोबाइल नं. 9672968943

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राजस्थान

—— रेस्पोडेन्टस

—

प्रथम अपील धारा —75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार चिड़ावा, मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मोहर सिह मु.नं. 6 / 2022 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 तारीख निर्णय दिनांक 10.08.2022।

—

उपस्थितः—

1. श्री सुशील कुमार वर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर उपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 10.08.2022 के विरूद्ध मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार सरहद ग्राम ओजटू में स्थित भूमि ख0न0 94 रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में से अपीलान्ट द्वारा 0.01 हैक्टर भूमि पर मकान (ढारा) बनाकर अतिक्रमण करने पर अपलांट को अतिक्रमी घोषित कर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बेदखल करने एवं आर्थिक दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुना तावान राशि 4 / — रूपये कायम किये जाने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्नानुसार पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार, चिड़ावा द्वारा पारित निर्णय जैर बहस दिनांक 10.08.2022 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि अपीलान्ट को जिस जगह अतिक्रमी बताया है वह जगह अपीलान्ट के पिता मामराज की कब्जे शुदा जमीन है जो अपीलान्ट के पिता द्वारा 80 वर्ष पूर्व से कब्जा आबाद है। अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के पश्चात अपीलान्ट को विवादित जगह उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट अपने पिता की मृत्यु के बाद से उक्त विवादित जमीन की किस्म आबादी है इसलिए आबादी भूमि की धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है तथा मातहत अदालत को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नही है। ऐसे में निर्णय जैर बहस क्षेत्राधिकार के बाहर है। मौजूदा प्रकरण में कब्जे व किस्म जमीन का विवाद एक बार सारभूत विवाद हैं कानून से जहां कब्जे व जमीन किस्म का विवाद एक सारभूत विवाद हो वहां धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

समरी कार्यवाही कर प्रभावित व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकार के कब्जे व किस्म जमीन के सारभूत विवाद में रेग्युलर कार्यवाही का वाद शपथपूर्वक एवं साक्ष्य एक सदभावी रूप से आबाद व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकार के कब्जे व किस्म जमीन के सारभूत विवाद में रेग्यूलर कार्यवाही का वाद शपथपूर्वक एवं साक्ष्य एक सद्भावी रूप से आबाद व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस कानून के विधिक प्रावधानों के खिलाफ है जिसे खारिज फरमाया जावे। अदालत मातहत के निर्णय जैर बहस पारित करने मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य व दस्तावेज सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर नही दिया है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी भूल की है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट स्थानीय राजनैतिक प्रभाव से प्रभावित रही है तथा रंजिशवश उक्त कार्यवाही करवाई गई है। इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में नही होते हुए भी तहसीलदार, चिडावा ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मान कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट तो सिर्फ जड़ाई, राजेन्द्र, मानवीर द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता मकान व ढारा, तारबंदी की शिकायत तहसीलदार, चिडावा को की गई थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ भी गलत अतिक्रमी होने की रिपोर्ट तहसीलदार, चिडावा के यहा पेश की गई उस गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पर भी धारा 91 की कार्यवाही कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली के गलत आदेश पारित किये है जो खारिज फरमाया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि अपीलान्ट को जिस जगह अतिक्रमी बताया है वह जगह अपीलान्ट के पिता मामराज की कब्जे शुदा जमीन है जो अपीलान्ट के पिता द्वारा 80 वर्ष पूर्व से कब्जा आबाद है। अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के पश्चात अपीलान्ट को विवादित जगह उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट अपने पिता की मृत्यु के बाद से उक्त विवादित जमीन की किस्म आबादी है। इसलिए आबादी भूमि की धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है लिहाजा मातहत अदालत को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नही है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस क्षेत्राधिकार के बाहर है। मौजूदा प्रकरण में कब्जे व किस्म जमीन का विवाद एक बार सारभूत विवाद हैं कानून से जहां कब्जे व जमीन किस्म का विवाद एक सारभूत विवाद हो वहां धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक समरी कार्यवाही कर प्रभावित व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकार के कब्जे व किस्म जमीन के सारभूत विवाद में रेग्युलर कार्यवाही का वाद शपथपूर्वक एवं साक्ष्य एक सदभावी रूप से आबाद व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकार के कब्जे व किस्म जमीन के सारभूत विवाद में रेग्यूलर कार्यवाही का वाद शपथपूर्वक एवं साक्ष्य एक सद्भावी रूप से आबाद व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस कानून के विधिक प्रावधानों के खिलाफ है जिसे खारिज फरमाया जावे। अदालत मातहत के निर्णय जैर बहस पारित करने मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य व दस्तावेज सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर नही दिया है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी भूल की है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट स्थानीय राजनैतिक प्रभाव से प्रभावित रही है तथा रंजिशवश उक्त कार्यवाही करवाई गई है। इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में नही होते हुए भी तहसीलदार, चिडावा ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मान कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट तो सिर्फ जड़ाई, राजेन्द्र, मानवीर द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

मकान व ढारा, तारबंदी की शिकायत तहसीलदार, चिडावा को की गई थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ भी गलत अतिक्रमी होने की रिपोर्ट तहसीलदार, चिडावा के यहा पेश की गई उस गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पर भी धारा 91 की कार्यवाही कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली के गलत आदेश पारित किये है जो खारिज फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ने ग्राम ओजटू स्थित भूमि ख0न0 94 कुल रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड मे से 0.01 हैक्टर पर मकान (ढारा) बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। विवादित सरकारी भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत मे अपीलान्ट की जबाब देही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम ओजटू स्थित सरकारी भूमि ख0न0 94 कुल रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड मे से 0.01 हैक्टर पर मकान (ढारा) बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसकी किस्म गैर मुमकीन जोहड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। इस प्रकार की भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण वैध नही माना जा सकता है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 यथावत रखा किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested